बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
आदेश

सं0–03/आ०1–139/2024 ..../ जिला पदाधिकारी, नालंदा के पत्रांक–1072 दिनांक 31.07.2024 द्वारा श्री सुजीत कुमार राउत, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, नालंदा के विरूद्ध शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के भविष्य निधि के भुगतान में 15 प्रतिशत कमीशन लेने, बेंच डेस्क की आपूर्ति के विरूद्ध बकाया राशि भुगतान में कमीशन मांगने आदि से संबंधित आरोप प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। इसपर आरोप पत्र गठित करते हुए संकल्प संख्या–31 दिनांक 20.01.2025 से श्री सुजीत कुमार राउत के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालन की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप प्रमाणित पाये जाने का प्रतिवेदन दिया गया, जिसपर विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए एवं सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय ज्ञापांक–349357 दिनांक 14.01.2026 द्वारा श्री सुजीत कुमार राउत, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, नालंदा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम 14(v) के अंतर्गत "संचयी प्रभाव के बिना दो वेतन वृद्धियों की रोक" की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित करते हुए मामले को समाप्त किया गया।

3. श्री राउत द्वारा शास्ति अधिरोपण के 45 दिनों के अंदर अपील आवेदन दायर कर उक्त अधिरोपित शास्ति को क्षांत करने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसमें उनके द्वारा अंकित किया गया है कि आरोपों के विरूद्ध अपने बचाव अभिकथन में सभी साक्ष्यों को ससमय उपस्थापित किया हूँ परंतु बिना साक्ष्य के ही उनके उपर लगे आरोपों को सही मानते हुए उनपर शास्ति अधिरोपित की गयी है।

4. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 24 (2) के प्रावधानों के तहत सरकार के आदेश के विरूद्ध कोई अपील दायर नहीं की जा सकेगी हालांकि ज्ञापन के रूप में पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की जा

सकती है। श्री सुजीत कुमार राउत के द्वारा दायर अपील आवेदन को पुनर्विलोकन अर्जी के रूप में विचार किया गया हैं।

5. सक्षम प्राधिकार द्वारा की गई समीक्षा में यह ज्ञात होता है कि इन्होंने अपने आवेदन में उन्हीं बातों का दोहराव किया है, जो इनके द्वारा जांच/संचालन के दौरान कहीं गई है और जिसपर भली-भांति समीक्षा कर संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है तथा सभी बिंदुओं पर विधिवत् समीक्षा कर इन्हें लघु शास्ति अधिरोपित की है।

6. इस प्रकार श्री सुजीत कुमार राउत, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, नालंदा के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 (v) के अंतर्गत "संचयी प्रभाव के बिना दो वेतन वृद्धियों की रोक" की अधिरोपित/संसूचित शास्ति में किसी प्रकार के परिवर्तन का कोई आधार परिलक्षित नहीं होता है। अतएव श्री सुजीत कुमार राउत द्वारा दायर अपील आवेदन (पुनर्विलोकन अर्जी) को अस्वीकृत किया जाता है।

7. उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह./
(मनोरंजन कुमार)
निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांक-03/आ०1-139/2024 1/435505/पटना, दिनांक- 09-06-2026

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग/प्रभारी पदाधिकारी (वै0दा0नि0को0), वित्त विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ जिला पदाधिकारी, नालंदा /क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना/जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालंदा/ श्री सुजीत कुमार राउत, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, नालंदा /प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02 एवं आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Signed by
Manoranjan Kumar
Date: 09-06-2026 11:34:37
निदेशक (प्रशासन)